राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: 6(12)राज-6/99/16 जयपुर, दिनांक: 14.9.2000

प्रेषित,

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

परिपत्र

विषय : राज्य में विद्युत निगम को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. ; राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. ; जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ; अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर जो कि राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के विघटन के फलस्वरूप बने हैं, को कृषि भूमि का आवंटन कृषि भूमि की प्रचलित दर पर किया जायेगा । इस हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी है किन्तु ऐसे मामलों में भूमि की कीमत, लीज रेन्ट आदि के पेटे राशि नकद में वसूल नहीं की जायेगी एवं इस हेतु देय राशि को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में इन निगमों के विरुद्ध समायोजित की जायेगी ।

इन निगमों को भूमि का आवंटन आदेश जारी होने पर, भूमि का कब्जा तुरन्त दे दिया जाये एवं राशि समायोजन के कारण कब्जा देने की कार्यवाही नहीं रोकी जावे । ऐसे मामलों में राशि की मांग कायमी कर पूर्ण विवरण के साथ सम्बन्धित तहसीलदार इसे कलेक्टर को प्रेषित करेंगे । कलेक्टर इस विवरण को समायोजन के लिये राजस्व (ग्रुप-2) विभाग को प्रेषित करेंगे ।

विघटित राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को पूर्व में आवंटित भूमि जो निःशुल्क आवंटित की गयी थी या इस शर्त पर आवंटित की गयी थी कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीति/दर के आधार पर होगा, के मामलों में या अन्य प्रकार के मामलों में भी मांग कायमी की जायेगी किन्तु बकाया राशि वसूल न कर उपरोक्तानुसार आर्थिक सहायता के रूप में राशि का समायोजन किया जायेगा । ऐसे मामलों में बकाया राशि

----2----

का विवरण 3 माह में आवश्यक रूप से तैयार कर राजस्व (ग्रुप-2) विभाग को समायोजन हेतु प्रेषित किया जाये ।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि कलेक्टर उपरोक्त निर्देशों की पालना तहसीलदारों से सुनिश्चित करावें ।

उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
3. समस्त विद्युत निगम लि. ।
4. राजस्व (ग्रुप-2) विभाग ।
5. उपनिबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर ।

उपशासन सचिव 14/9/2010